

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 494 सन 2019

अनवान :-

1. अमरसिंह 2 रामप्रताप पुत्र बीरबलराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी .

बनाम

1. जगमाल 2 ओम 3 रामचन्द्र पि0 बिरबलराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 4 निमली पत्नी बीरबलराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 5 सुखमादेवी 6 विध्या पुत्रीयान बीरबलराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 12/02/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 142/122 के खसरा न0 203/4 की 4.3120 हैक् एवं खाता संख्या 143/123 के खसरा न0 297/2 की 4.300 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 बीरबलराम पुत्र दुलाराम का देहान्त दिनांक 20.05.2003 को हो चुका है जिसके विधिक एवं कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो बिरबलराम की भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वादी के पिता बिरबलराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता बिरबलराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारीस वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ही है जो वाद भूमि पाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की पुत्री एवं बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 142/122 के खसरा न0 203/4 की 4.3120हैक् एवं खाता संख्या 143/123 के खसरा न0 297/2 की 4.300हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 बीरबलराम पुत्र दुलाराम का देहान्त दिनांक 20.05.2003 को हो चुका है जिसके विधिक एवं कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो बिरबलराम की भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 142/122 की कुल 4.3120हैक् एवं खाता संख्या 143/23 की कुल 4.3000हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता बिरबलराम पुत्र दुलाराम के नाम से दर्ज है।


वादी के पिता बिरबलराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है बिरबलराम के देहान्त होने पर बिरबलराम के नाम से दर्ज भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 विरास्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 , 6 जो वादी की बहने हैं ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 142/122 की कुल 4.3120हैक् एवं खाता संख्या 143/23 की कुल 4.3000हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता बिरबलराम पुत्र दुलाराम के नाम से दर्ज है में बिरबलराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 छहों को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तस्तीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक **12/2/2020** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहर (दुमरागढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

1. अमरसिंह 2 रामप्रताप पुत्र बीरबलराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

- 1 जगमाल 2 ओम 3 रामचन्द्र पि० बिरबलराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 4 निमली पत्नी बीरबलराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर।
- 5 सुखमादेवी 6 विध्या पुत्रीयान बीरबलराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 494 सन 2019 निर्णय दिनांक- 12/2/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 142/122 की कुल 4.3120हैक् एवं खाता संख्या 143/23 की कुल 4.3000हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता बिरबलराम पुत्र दुलाराम के नाम से दर्ज है में बिरबलराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 छहों को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हों तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/2/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)